परिपत्र संख्याः 43/2023

विजय कुमार,
भा0पु0से0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226010
दिनांकः लखनऊः अक्टूबर 17, ,2023

प्रिय महोदय/महोदया,

आप सभी सहमत हैं कि पुलिस एक सेवा है। इस सेवा को कैसे करना है, वह प्रायः या तो पुलिस रेगुलेशन से निर्धारित होता है या फिर अधिकारियों के अनुभव से। परंतु अधिकतर यह पाया गया है कि एक अधिकारी के पद से स्थानांतरित होने के उपरांत उसके द्वारा लागू स्कीम भी समाप्त हो जाती है। उसके पीछे मुख्य कारण यह है की स्कीम की कोई Impact Study नहीं हुई होती है जिससे उसको लाभदायक पाते हुए, या आवश्यकतानुसार थोड़ा संशोधित करते हुए, पुलिस परिपत्र के माध्यम से पूरे प्रदेश में लागू की जा सके। साथ ही साथ निरंतर, बदलते हुए परिवेश में, यह भी आवश्यक है कि पुलिस नई–नई पद्धतियों का परीक्षण करें और उसे क्रियान्वित कराए। इसके लिए निरंतर शोध करना जरूरी है।

2– पुलिस विज्ञान, तकनीक (technology) और कानून में शोध करने हेतु अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा क्रमशः वर्ष–2018, 2019 और 2020 में डॉ0 राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आई0आई0टी0, कानपुर और आई0आई0एम0, इंदौर के साथ समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding–MoU) हस्ताक्षरित किए गए हैं। मूल्यांकन से पाया गया है कि इन MoU का क्रियान्वयन बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं हो रहा है। किसी अधिकारी के व्यक्तिगत पहल पर कुछ जगहों पर थोड़ा कार्य हो रहा है। लेकिन इस व्यवस्था में कुछ कमियाँ देखी जा रही हैं। जहाँ एक ओर अधिकारी के स्थानांतरण के उपरांत वह शोध का कार्य समाप्त हो जाता है, वहीं यह भी देखने को में आया है कि एक ही विषय पर दो अलग–अलग अधिकारी शोध संस्था के साथ कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार अधिकारी और शोध संस्था के बीच चल रहे कार्य का लाभ पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को नहीं मिल रहा है।

3– उपरोक्त कमियों के दृष्टिगोचर यह निर्णय लिया गया है कि रूल्स एण्ड मैनुअल, उ0प्र0, लखनऊ सभी शिक्षण संस्थानों के साथ हस्ताक्षरित MoU के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। इससे संभव होगा कि विभिन्न विषयों पर पुनरावृत्ति (Duplication) नहीं होगी, शोध का लाभ पूरे उत्तर प्रदेश पुलिस को मिलेगा और मुख्यालय स्तर पर शोध का पुनरीक्षण (Review) भी हो सकेगा। साथ ही साथ शैक्षिक संस्थान को उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एक ही नोडल एजेंसी से समन्वय स्थापित करना होगा।

4– इस ओर आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि पुलिस विज्ञान, अपराध शास्त्र, विधि, टेक्नोलॉजी इत्यादि विषयों पर शोध या आप द्वारा लागू किसी स्कीम की Impact Study

....2/–

करवानी हो, तो सूक्ष्म प्रस्ताव (200 से 300 शब्दों में) मेरे कार्यालय और पुलिस महानिदेशक, रूल्स एण्ड मैनुअल, उ0प्र0, लखनऊ को भेजें। ऐसा करने से हम Evidence-based Policing की ओर अग्रसर होंगे।

भवदीय,

17/10

(विजय कुमार)

प्रतिलपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1–पुलिस महानिदेशक, रूल्स एण्ड मैनुअल, उ0प्र0, लखनऊ।
2–समस्त इकाई प्रभारी अजनपदीय शाखा, उ0प्र0।
3–समस्त अपर पुलिस महानिदेशक (जोन्स), उत्तर प्रदेश/पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद।

– – –